भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2623

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की स्थिति

2623. श्री सुजीत कुमार:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2026 तक लाभार्थियों की कुल संख्या सहित प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और जन सुरक्षा योजनाओं के तहत राज्य-वार और लिंग-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमियों के बीच श्रेणी-वार वितरण सहित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत संवितरित कुल ऋण कितना है;

(ग) अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के रुझान सहित मुद्रा ऋण की गुणवत्ता और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) संवीकृत ऋणों की संख्या और मूल्य तथा विकास-उन्मुख सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने में इसके योगदान सहित तरुण प्लस श्रेणी के तहत कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत हुई राज्य-वार और लिंग-वार प्रगति का ब्यौरा क्रमश: अनुबंध I-क और अनुबंध I-ख में दिया गया है।

(ख): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत योजना की शुरुआत से लेकर अब तक दिनांक 26.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में 40.76 लाख करोड़ रुपये की राशि के 59.14 करोड़ ऋण संवितरित किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमियों के बीच संवितरित ऋण का श्रेणी-वार संवितरण अनुबंध -II में दिया गया है।

(ग): मुद्रा ऋण की गुणवत्ता और धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के माध्यम से विवेकपूर्ण उधारकर्ता मूल्यांकन

(ii) केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन;

(iii) विभिन्न ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त ऋणों का कवरेज;

(iv) उधारकर्ता सम्बन्धी खातों की बढ़ी हुई निगरानी;

(v) उधारकर्ता की इकाई के लिए नियमित क्षेत्र का दौरा;

(vi) डिजिटल ऋण प्राप्ति प्रक्रिया में सुधार;

(vii) उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करना;

(viii)उधारकर्ताओं के लिए पुनर्भुगतान सम्बन्धी अनुशासन और कारोबार प्रबंधन पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

मुद्रा ऋण में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का रूझान अनुबंध -III में दिया गया है।

(घ): तरुण प्लस श्रेणी के ऋण अक्टूबर, 2024 में उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू किए गए थे, जिन्होंने पहले 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया था और ऐसे ऋणों का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया था , जिससे उनके उद्यमों के और विस्तार की सुविधा हुई। दिनांक 26.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत 22,913 करोड़ रुपये की राशि के 1.54 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

"मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की स्थिति" के सम्बन्ध में दिनांक 11.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध I- क

मंत्रालय के अंतर्गत योजनाओं की स्थिति (जून 2026)											
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजेजेबीवाई संचयी नामांकन					पीएमएसबीवाई के संचयी नामांकन				
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	अन्य (अभिसरित योजनाएं)*	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	अन्य (अभिसरित योजनाएं)	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56,425	44,133	253	10	100,821	100,493	79,261	260	15,281	195,295
2	आंध्र प्रदेश	6,882,574	8,278,917	12,341	19,522,570	34,696,402	15,246,923	16,805,611	27,263	26,000,684	58,080,481
3	अरुणाचल प्रदेश	136,621	143,681	494	13,805	294,601	261,016	260,465	515	1,265	523,261
4	असम	2,327,910	3,792,026	5,862	149,666	6,275,464	6,516,878	8,491,295	6,768	161,980	15,176,921
5	बिहार	6,880,468	11,525,929	18,825	2,539,033	20,964,255	16,964,077	22,918,854	40,763	345,937	40,269,631
6	चंडीगढ़	113,507	71,431	400	1,376	186,714	321,581	218,362	987	1,407	542,337
7	छत्तीसगढ़	3,041,093	4,365,224	6,170	1,457,900	8,870,387	7,377,667	8,492,039	12,575	1,858,547	17,740,828
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	119,635	52,943	108	1,306	173,992	220,955	91,187	164	9,627	321,933
9	दिल्ली	1,497,762	1,282,518	4,124	22,168	2,806,572	4,194,995	3,315,557	10,537	567	7,521,656
10	गोवा	227,215	182,617	272	1,559	411,663	487,773	378,517	594	11,880	878,764
11	गुजरात	6,220,489	4,559,255	10,135	350,906	11,140,785	13,193,164	9,300,522	17,716	693,833	23,205,235
12	हरियाणा	3,014,611	2,503,310	5,647	191,517	5,715,085	7,590,285	5,770,417	13,114	20,781	13,394,597
13	हिमाचल प्रदेश	795,190	647,220	2,404	73,953	1,518,767	2,022,049	1,539,850	7,891	32,692	3,602,482
14	जम्मू और कश्मीर	774,670	445,599	1,223	137,136	1,358,628	1,945,361	1,175,501	4,268	29,687	3,154,817
15	झारखंड	3,250,242	5,138,624	5,723	780,696	9,175,285	7,275,813	9,038,289	11,907	143,607	16,469,616
16	कर्नाटक	6,459,661	7,189,763	10,047	3,863,266	17,522,737	13,389,331	13,682,953	14,573	243,094	27,329,951
17	केरल	1,646,336	1,869,412	3,191	1,316,601	4,835,540	5,947,568	6,612,387	7,344	280,390	12,847,689
18	लद्दाख	31,804	13,167	77	848	45,896	60,546	29,148	173	-	89,867
19	लक्षद्वीप	4,493	2,839	19	106	7,457	10,897	8,177	30	12,352	31,456
20	मध्य प्रदेश	7,627,731	9,461,800	17,027	423,958	17,530,516	19,330,064	19,520,285	44,863	894,293	39,789,505
21	महाराष्ट्र	9,932,480	10,207,585	17,606	369,371	20,527,042	22,824,205	20,707,867	30,154	771,669	44,333,895
22	मणिपुर	154,428	208,540	434	99,219	462,621	322,276	417,101	516	1,742	741,635

23	मेघालय	247,148	385,635	415	15,465	648,663	489,794	632,096	676	-	1,122,566
24	मिजोरम	195,494	216,863	145	4,667	417,169	299,977	313,405	254	2,911	616,547
25	नागालैंड	127,968	131,695	223	3,999	263,885	281,843	297,621	332	225	580,021
26	ओडिशा	4,368,279	6,747,379	11,231	1,577,429	12,704,318	11,320,171	13,426,448	16,304	1,176,900	25,939,823
27	पुडुचेरी	127,314	163,262	231	21,199	312,006	288,470	326,109	695	55,199	670,473
28	पंजाब	3,100,880	2,620,691	6,001	49,720	5,777,292	8,473,814	7,000,672	17,011	86,735	15,578,232
29	राजस्थान	6,875,306	7,210,033	12,001	1,964,559	16,061,899	15,850,551	14,903,425	13,855	316,084	31,083,915
30	सिक्किम	90,064	81,026	232	2,611	173,933	175,978	147,060	439	1,000	324,477
31	तमिलनाडु	5,041,342	7,623,574	9,169	371,420	13,045,505	12,556,324	16,848,428	20,226	690,947	30,115,925
32	तेलंगाना	4,328,110	5,145,483	7,974	104,603	9,586,170	9,433,936	9,911,298	10,640	472,764	19,828,638
33	त्रिपुरा	325,070	350,942	310	14,806	691,128	844,053	730,299	749	2,600	1,577,701
34	उत्तर प्रदेश	15,836,341	15,811,935	30,264	3,385,879	35,064,419	44,487,825	39,430,601	140,316	3,332,714	87,391,456
35	उत्तराखंड	1,039,595	935,723	2,984	47,550	2,025,852	3,190,402	2,624,922	10,105	25,744	5,851,173
36	पश्चिम बंगाल	6,572,117	9,670,368	22,166	186,013	16,450,664	17,567,756	22,002,608	25,817	141,110	39,737,291
कुल		109,470,373	129,081,142	225,728	39,066,890	277,844,133	270,864,811	277,448,637	510,394	37,836,248	586,660,090

* अभिसरित योजनाओं के लिए लिंग -वार आंकड़े का रखरखाव नहीं किया जाता

"मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की स्थिति" के सम्बन्ध में दिनांक 11.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध I- ख

मंत्रालय के अंतर्गत योजनाओं की स्थिति (जून 2026)								
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमजेडीवाई खाते			एपीवाई अभिदाता			
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32,567	32,525	65,092	9,596	7,090	10	16,696
2	आंध्र प्रदेश	7,376,613	9,798,944	17,175,557	1,798,511	2,809,212	2,320	4,610,043
3	अरुणाचल प्रदेश	216,899	256,916	473,815	23,214	22,150	13	45,377
4	असम	10,707,110	15,223,455	25,930,565	947,948	1,339,456	476	2,287,880
5	बिहार	29,857,205	39,804,529	69,661,734	3,541,255	4,993,649	1,110	8,536,014
6	चंडीगढ़	184,910	159,924	344,834	57,907	35,280	56	93,243
7	छत्तीसगढ़	8,122,866	10,639,888	18,762,754	851,187	987,866	322	1,839,375
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	156,214	90,793	247,007	38,789	8,950	10	47,749
9	दिल्ली	3,591,343	3,479,959	7,071,302	678,460	445,012	577	1,124,049
10	गोवा	131,162	103,210	234,372	81,632	53,842	64	135,538
11	गुजरात	9,698,690	10,243,879	19,942,569	2,271,741	1,086,880	930	3,359,551
12	हरियाणा	5,550,308	5,635,816	11,186,124	1,287,497	829,533	608	2,117,638
13	हिमाचल प्रदेश	938,644	1,069,748	2,008,392	416,057	275,560	99	691,716
14	जम्मू और कश्मीर	1,034,230	1,438,454	2,472,684	209,861	106,101	168	316,130
15	झारखंड	8,910,628	11,683,703	20,594,331	1,304,517	1,829,743	457	3,134,717
16	कर्नाटक	9,544,680	12,269,664	21,814,344	2,760,859	2,510,470	1,415	5,272,744
17	केरल	3,194,825	4,351,013	7,545,838	858,677	1,000,544	536	1,859,757
18	लद्दाख	12,779	9,385	22,164	5,255	2,834	12	8,101
19	लक्षद्वीप	5,484	5,306	10,790	2,513	1,560	7	4,080
20	मध्य प्रदेश	21,190,876	26,015,149	47,206,025	2,841,556	2,913,243	1,439	5,756,238
21	महाराष्ट्र	16,496,563	21,743,271	38,239,834	3,640,640	2,917,072	2,480	6,560,192
22	मणिपुर	443,450	644,221	1,087,671	38,416	43,522	66	82,004
23	मेघालय	379,355	533,578	912,933	47,345	59,811	9	107,165
24	मिजोरम	205,446	238,811	444,257	20,286	23,515	9	43,810
25	नागालैंड	182,241	229,207	411,448	24,661	23,942	9	48,612
26	ओडिशा	10,347,713	13,742,985	24,090,698	1,612,776	2,054,962	919	3,668,657

27	पुडुचेरी	127,074	164,190	291,264	52,274	68,215	68	120,557
28	पंजाब	4,564,059	5,462,520	10,026,579	1,639,633	1,152,592	693	2,792,918
29	राजस्थान	16,566,521	21,954,424	38,520,945	3,070,060	1,924,071	799	4,994,930
30	सिक्किम	52,593	56,848	109,441	26,965	23,898	29	50,892
31	तमिलनाडु	7,911,774	11,186,262	19,098,036	2,596,373	3,462,320	3,349	6,062,042
32	तेलंगाना	5,586,550	7,760,059	13,346,609	1,372,795	1,539,451	1,462	2,913,708
33	त्रिपुरा	504,521	663,660	1,168,181	158,454	197,849	34	356,337
34	उत्तर प्रदेश	48,954,998	55,201,138	104,156,136	9,155,276	6,261,681	4,224	15,421,181
35	उत्तराखंड	1,973,106	2,137,122	4,110,228	604,858	396,245	273	1,001,376
36	पश्चिम बंगाल	24,461,926	32,480,849	56,942,775	3,175,147	4,290,012	1,547	7,466,706
कुल		**259,215,923**	**326,511,405**	**585,727,328**	**47,222,991**	**45,698,133**	**26,599**	**92,947,723**

नोट: पीएमजेडीवाई के लिए ट्रांसजेंडर सम्बन्धी आंकड़ों का अलग से रखरखाव नहीं किया जाता है।

"मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की स्थिति" के सम्बन्ध में दिनांक 11.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(दिनांक 08.04.2015 से 26.06.2026* तक की स्थिति के अनुसार)

अनुबंध II

[राशि करोड़ रुपये में]

		मुद्रा ऋण श्रेणी														
		शिशु			किशोर			तरुण			तरुण प्लस			कुल		
क्रम संख्या	उधारकर्ता श्रेणी	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपये में)	संवितरित राशि (लाख करोड़ रुपये में)	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपये में)	संवितरित राशि (लाख करोड़ रुपये में)	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपये में)	संवितरित राशि (लाख करोड़ रुपये में)	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपये में)	संवितरित राशि (लाख करोड़ रुपये में)	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपये में)	संवितरित राशि (लाख करोड़ रुपये में)
1	अनुसूचित जाति	7.85	2.25	2.22	1.66	1.50	1.47	0.05	0.27	0.26	0.00	0.01	0.01	9.56	4.03	3.97
2	अनुसूचित जन जाति	2.60	0.74	0.73	0.59	0.59	0.57	0.04	0.19	0.17	0.00	0.01	0.01	3.23	1.52	1.48
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	12.59	3.64	3.60	3.52	3.75	3.63	0.16	1.05	1.01	0.00	0.03	0.03	16.27	8.46	8.26
4	इनके इतर (एससी/एसटी/ ओबीसी)	20.13	6.07	6.01	8.76	12.39	12.07	1.18	9.05	8.79	0.01	0.19	0.18	30.08	27.70	27.05
	कुल	**43.17**	**12.69**	**12.56**	**14.54**	**18.23**	**17.74**	**1.43**	**10.56**	**10.24**	**0.02**	**0.23**	**0.22**	**59.14**	**41.71**	**40.76**
	उपर्युक्त में से															
महिला उद्यमी		31.30	9.47	9.20	7.60	6.82	6.65	0.26	1.23	1.14	0.00	0.05	0.05	39.16	17.57	17.04

अनंतिम

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध III

"मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की स्थिति" के सम्बन्ध में दिनांक 11.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएमवाई ऋणों के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों में रुझान:

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना – संचयी (संवितरण राशि की तुलना में एनपीए%)	
मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार	2.58%
मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	2.10%
मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	2.10%
मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार	2.05%

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार
